कहा जाता है कि नागा लोगों में अर्ह और योग्य व्यक्तियों के होते हुए भी उस क्षेत्र के प्रशासन के लिये बाहर के लोग नियुक्त किये जाते हैं क्योंकि आसाम सरकार उन पर विश्वास नहीं करती है। सरकार को उन्हीं तरीकों को काम में नहीं लाना चाहिये जो अंग्रेज सरकार उत्तर पश्चिमी सीमान्त प्रान्त के लोगों के लिये काम में लाया करती थी।

वे लोग एक स्वतन्त्र राज्य नहीं चाहते हैं। वे केवल एक प्रशासनिक इकाई और स्वायत्त शासी शक्तियां चाहते हैं। दूसरे पक्ष के सदस्य सदा विरोधी विचारों के लिये सहनशीलता का प्रचार करते आये हैं और जब कि यह तीन लाख व्यक्ति, जिनकी समस्यायें विचित्र हैं, अपनी मांग की पूर्ति के लिये हिंसा पर उतर आये हैं तो आप उनके खिलाफ बल प्रयोग कर रहे हैं। यदि आपका व्यवहार ऐसा रहेगा तो अलग होने की प्रवृत्ति बढ़ती जायेगी। आप उनसे हथियार छोड़ने को कहें और सर्वक्षमा की घोषणा करके उनसे बातचीत करें अथवा ऐसे साधन ढूंढ़े जिनसे कि यह समस्या स्थायी तौर पर हल की जा सके और देश के विकास कार्य में उनका सहयोग भी प्राप्त किया जा सके।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने लोक-सभा में नागा पहाड़ियों की स्थिति सम्बन्धी इस वाद-विवाद का स्वागत किया है इसलिये नहीं कि सैनिक दृष्टि से वहां की स्थिति गम्भीर है बल्कि इसलिये कि यह एक ऐसी समस्या है जिसमें लोक-सभा और संसद को अभिरुचि लेनी चाहिये।

यह बात कई बार दोहराई गई कि इसे मानवीय समस्या समझा जायें और कुछ एक ने कहा कि इसे सैनिक समस्या नहीं अपितु एक राजनैतिक समस्या समझ कर कार्यवाही की जाये। यदि हमने इसे एक सैनिक समस्या समझ कर कार्यवाही की होती तो यह परिणाम न हुए होते। क्योंकि हमने इसे पूर्णतः सैनिक समस्या समझ कर इस पर कार्यवाही नहीं की क्योंकि हमने अपनी सेना और अन्य लोगों को कई प्रकार की हिदायतें दीं, प्रतिबन्ध लगाये और कहा कि वे इसे एक सैनिक समस्या समझ कर कार्यवाही न करें इसी लिये सैनिक दृष्टिकोण से इसके सुलझाने में उतनी प्रगति नहीं हुई जितनी की होनी चाहिये थी। मैं जानता हूं कि यदि हम एक सैनिक समस्या के रूप में कार्यवाही करते और नागा लोगों की सद्भावना और सहयोग प्राप्त न करते हो हम अवश्य ही असफल रहते। यह कभी भी नहीं सोचा जाना चाहिये कि हम ऐसी किसी समस्या को शस्त्र प्रयोग के द्वारा लोगों को दबा कर ही हल कर सकते हैं। हमारा यह दृष्टिकोण नहीं है।

मैं चाहता हूं कि सभा को यह याद रहे कि उन्हें केवल नागा पहाड़ियों में ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण और उसके आस पास के क्षेत्रों में हमारी सामान्य नीति को देखते हुए इस समस्या पर विचार करना चाहिये। गत आठ वर्ष में इनमें से बहुत से क्षेत्र पहली ही बार प्रशासन के अधीन लाये गये। जिस प्रकार शान्ति पूर्वक और बिना अधिक घटनाओं के यह प्रशासन पद्धति फैली उसका उदाहरण आपकी और कहीं नहीं मिलेगा। यह इस कारण हुआ कि हमने कड़ी हिदायतें और आदेश दे रखे थे कि हमें लोगों के मन को जीतना है, हमें उनक सहयोग प्राप्त करना है और उनकी सद्भावना के आधार पर आगे बढ़ना है। घटनायें हुई परन्तु बहुत कम।

सभा को स्मरण होगा कि तीन वर्ष से कुछ अधिक समय पहले एक भारी घटना हुई थी। अक्तूबर १९५३ में उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण क्षेत्र के औचिनमूर स्थान में हमारा एक पदाधिकारी कुछ सैनिकों के साथ गोली चलाने अथवा हत्या करने के लिये नहीं, अपितु साधारण गश्त के लिये जा रहा था। अकस्मात् बिना किसी प्रकार की सूचना के उन पर आक्रमण किया गया। वह बेचारा तम्बू में चाय बना रहा था और दूसरे व्यक्ति तम्बू लगा रहे थे। परिणाम यह

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हुआ कि ४० मजदूर और ३० सैनिक कर्मचारी--७० व्यक्ति मारे गये। यह संख्या कम नहीं है। इस प्रकार की बातों पर सरकार की बड़ी भीष्ण प्रतिक्रिया होती है। परन्तु संसार की कोई भी सरकार इस प्रकार के मामले का इस तरीके से निबटारा नहीं करेगी जैसे कि हमने किया। पहले हमने जब यह समाचार सुना तो हम आवेश में आ गये, हमें क्रोध आ गया।

इससे हमारी सेना स्वाभावत: कुछ क्रोधित हो गई। यह युद्ध नहीं था, यह तो सरासर जान बूझ कर हत्या करना था--लोग एकाएकी आ गये और जो लोग शान्ति से बैठे हुए थे उनको घेर लिया और अनेक को मौत के घाट उतार दिया। परन्तु हम इस पहले धक्के से शीघ्र ही सचेत हो गये और हमने अपनी सेनायें वहां भेजने की व्यवस्था की। परन्तु हमने अपनी सेनाओं से कह दिया कि उन्हें यह समझ लेना चाहिये कि यह व्यक्ति कौन हैं। वहां जाकर उनको मौत के घाट उतार देने और उनके गांवों को जला देने में कोई तुक नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि अंग्रेजों के राज्य काल में गांवों को जाकर जला देना एक मामूली सी बात थी। वास्तव में वहां बमबारी से किसी व्यक्ति की जान नहीं जाती हैं क्योंकि वहां वह लोग घनी बस्तियां बसा कर नहीं रहते हैं। इसलिये, यह कहा गया कि जाकर सिर्फ उनके गांवों को जला दें। पर हमने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। यह स्थान देश के बहुत अन्दर की ओर था और उन इलाकों में पहुंचना बहुत कठिन था। वह मैदानी इलाका नहीं था। इसलिये हमने ऐसा नहीं किया। हमने कठिनाइयों का सामना किया, और हफ्तों तक चट्टानों और पत्थरों से सिर टकराने के बाद, हमारी कुछ सेनायें वहां पहुंच सकीं। उस स्थिति का सामना करने में हमें महीनों लग गये। पर हमने स्थिति का सामना किया और यह सामना हमने मुख्यतया शान्तिपूर्ण तरीके से किया और अन्त में हमने उन व्यक्तियों को पकड़ लिया कि जिन के अपराधी होने का सन्देह था, पर हमने उनको आदिम जाति परिषदों को मुकदमा चलाये जाने के लिये सौंप दिया।

मैंने इस घटना का उल्लेख कोई तीन वर्ष पूर्व यह दिखाने के लिये किया था कि हमने ऐसे मामलों में किस प्रकार कार्यवाही की है। इस घटना विशेष का नागाओं की समस्या से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं केवल यह बता रहा हूं कि हम सेनाओं को, असैनिक कर्मचारियों को और अपने सशस्त्र बलों को, स्थिति का शान्तिपूर्ण ढंग से मुकाबला करने के आदेश देते हैं।

गत वर्ष तुएनसांग क्षेत्र में, जो मुख्यतया एक नागा क्षेत्र है, कुछ गड़बड़ी हुई थी। अब श्री कामत और श्री क० कु० बसु के लिये यह कहना शोभा देता है, "कि इसे आप मानवीय ढंग से हल करें। वहां सेना क्यों भेजते हैं?" पर जब दूसरे लोग मार काट पर उतारू हो जायें तो फिर क्या किया जाय? क्या हम उन्हें सद्भावना का सन्देश भेजें, या इस मार काट को रोकने का प्रयत्न करें? उस क्षेत्र के निवासियों से हमारे पास सहायता की अपीलें आ रही हैं। हमें गांव वालों से समाचार प्राप्त हुए, और हमें सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों से यही समाचार मिले कि "हमें बचाओ"। अब हम क्या करें? क्या हम उन्हें अभय दान न दें? यह घटना हुई तुएनसांग क्षेत्र में। हमें चुपचाप, बिना किसी प्रकार का शोर गुल मचाये, राय-फिलों से सुसज्जित अपनी कुछ सेनायें वहां भेजनी पड़ी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सैनिक कार्यवाही करके या सैन्य अभियान के द्वारा इस कठिनाई को दूर करना हमारे लिये बहुत आसान था। परन्तु हमने धीरे धीरे कार्यवाही की क्योंकि हमारा उद्देश्य उन्हें केवल कुचल देना ही नहीं अपितु उन्हें अपना मित्र बना लेना था। इसमें सन्देह नहीं कि हमें उनमें से कुछ को गोली से उड़ा भी देना पड़ा क्योंकि उन्होंने हम पर गोली चलाई थी; पर यह एक दूसरी बात है। इस प्रकार तुएनसांग की समस्या कुछ ही महीनों में बिना किसी शोर शराबे के हल हो गई।

जब कि तुएनसांग क्षेत्र में लड़ाई हो रही थी तो नागा पहाड़ियों में तुलनात्मक शान्ति थी। कहने का आशय यह है, कि न कोई बड़ी घटनायें हुई थीं और न कोई हिंसात्मक कार्यवाहियां की गई थीं। हो सकता है कि छोटी मोटी घटनायें होती रही हों। उसी समय फिजो आसाम के राज्यपाल और मुख्य मंत्री से भेंट करने आया था। वास्तव में, उसने वक्तव्य जारी किया था, जिसमें उसने अहिंसा के प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी। परन्तु हमें मालूम हुआ कि जब वह अहिंसा का राग अलाप रहा था और वास्तव में इसी आशय के वक्तव्य जारी कर रहा था, दूसरी ओर वह गुप्त रूप से हिंसात्मक कार्यवाहियों का संगठन कर रहा था। इसमें कोई सन्देह नहीं। यह बिल्कुल सच है। वह लोगों को प्रोत्साहन दे रहा था और यह कहता था कि "यह सारा काम मैं कर रहा हूं। यही एक चालाकी है जिससे आपको आगे बढ़ने का एक अधिक अवसर मिलेगा। अतः आओ हम यह खेल खेलें और इस कार्यवाही को जारी रखें।" तो इस प्रकार के काम वे वहां पर कर रहे थे।

अब मैं माननीय सदस्यों को यह बताने का प्रयत्न करूंगा कि नागा लोग वास्तव में हैं कौन। इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि नागा लोग कोई नहीं है और न ही आदिम जातियों का कोई ऐसा दल है जो कि पारस्परिक रूप से सम्बद्ध है। मैं कह नहीं सकता कि 'नागा' शब्द कब से प्रयोग में आना प्रारम्भ हुआ। परन्तु मेरा विचार है कि यह एक ब्रिटिश शब्द है अर्थात् ब्रिटिश काल में ही उस शब्द का प्रयोग प्रारम्भ हुआ था। यह विचार ठीक है या गलत इसके बारे में मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। परन्तु उनकी जातियों को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है जैसे अकामा, आओ, तथा अंगामी। ये नाम उनकी प्रमुख जातियों के हैं। वे एक दूसरे को नागा नहीं कहते। इस नाम का तो हम और आप प्रयोग करते हैं। संभवतः यह शब्द अंग्रेजों द्वारा उपहास युक्त घृणा के रूप में प्रयुक्त किया गया था क्योंकि नागा का अर्थ है नंगा। वहां की प्रमुख जातियां है अकामा, आओ तथा अंगामी। उस क्षेत्र में कोई एक सामान्य भाषा, नागा भाषा नहीं है। वहां पर प्रत्येक दो चार मीलों के अन्तर के बाद भाषा बदल जाती है। वहां पर दूर दूर स्थित स्थानों पर एक सामान्य भाषा कदापि न मिल सकेगी।

नागा लोगों में कई ऐसी आदिम जातियां थी, जो संभवतः शासक जातियां कहलाती थीं जो कि अन्य जातियों की अपेक्षा सैनिक दृष्टि से बलवान तथा शक्तिशाली हैं। अतः निश्चय ही कई आदिम जातियां अन्य आदिम जातियों पर प्रभावी रही हैं। वहां पर ऐसी बलवान आदिम जातियां थी जो कि अन्य आदिम जातियों से भेंट आदि लेती रही थीं और जब उन्हें भेंट नहीं दी जाती थी तो वे अन्य आदिम जातियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करती थी और उन्हें श्रद्धांजलि भेट करने के लिये बाध्य करती थीं। वहां पर ऐसी स्थिति थी। ऐसी स्थिति में उन क्षेत्रों में हमारा शासन स्थापित हुआ।

जहां तक 'नागा' शब्द का सम्बन्ध है मैं तो उसे एक प्रजातीय रूप में प्रयुक्त करूंगा, क्योंकि हम अपने अभिलेखों में इस शब्द का प्रयोग करते आ रहे हैं। इस समय उस सारे क्षेत्र (केवल नागा क्षेत्र नहीं) की जनसंख्या ५० लाख से कुछ अधिक है। नागा पहाड़ी जिले की जनसंख्या दो लाख से कुछ अधिक है। त्वेन सांग सीमान्त विभाग में भी जनसंख्या दो लाख से कुछ अधिक है। तीरप सीमा विभाग मे ५०,००० है और मनीपुर राज्य में ८०,००० है। अतः कुल आबादी ५,००,००० से कुछ अधिक है जो कि अलग अलग स्थानों पर बिखरी हुई है। परन्तु स्वयं नागा पहाड़ी क्षेत्र में केवल दो लाख ही है।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि नागाओं के बारे में मैंने २० या २५ वर्ष पहले ही कुछ सुना था और उनकी ओर मेरी रुचि उसी समय से किसी अंश में है। फिर उस महिला का मामला आया जिसे एक लम्बे समय तक कैद में रखने के बाद कई वर्ष हुए छोड़ा गया था। मुझे हर्ष है कि

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

उसके निवास के लिये निवास स्थान सम्बन्धी सहायता दी गयी और पूर्ववर्ती सरकार के अत्याचारों से उसे जो हानि हुई थी उसकी पूर्ति के लिये हमने पर्याप्त सहायता दी है। यद्यपि नागाओं में मेरी पहले ही रुचि हो गयी थी, परन्तु उनके बारे में मैं अधिक नहीं जानता था।

श्री जयपाल सिंह ने इस बात का उल्लेख किया है कि वे लोग मुझे मिलने के लिये आये थे। उसके बाद मैं उनसे कई बार मिल चुका हूं। श्री फीजो तथा उनके साथी मुझसे यहां पर दो बार मिल चुके हैं। श्री केशिंग ने कोहिमा की घटना का उल्लेख किया है कि वे मुझे मिलने के लिये आये थे और मुझे एक अभिनन्दन पत्र देना चाहते थे, परन्तु उन्हें रोक दिया गया था जिस के कारण वे नाराज होकर वापिस चले गये थे। परन्तु वास्तविक बात यह है कि मैं कोहिमा गया तो था परन्तु वह कोई सामान्य दौरा न था। वहां पर बर्मा के प्रधान मंत्री भी आये हुये थे। सीमान्त को पार करते हुए वे मनीपुर आये और वहीं मेरी उनसे भेंट हुई थी। हम एक या दो दिनों तक बर्मा जाने वाले थे, अतः उस दौरान में हम कोहिमा चले गये और वहां जाकर आराम किया। मैंने वहां के प्राधिकारियों को यह सुझाव दिया कि बर्मा के प्रधान मंत्री का स्वागत किया जाये। वह हमारे अतिथि थे, इसलिये कुछ एक लोग उनके लिये स्वागत कारी शब्द कहने के लिये एकत्रित हुए। अतः वह कोई सामान्य सा अवसर न था। बाद में मुझे जो पता लगा कि वह यह है कि वहां पर उसी समय कुछ एक लोग मुझे एक अभिनन्दन पत्र पढ़कर सुनाना चाहते थे। परन्तु वहां के उपायुक्त ने उन्हें बताया कि "आप यह पत्र उन्हें बाद में दे सकते हैं; मैं आपको यह पढ़ने की अनुमति नहीं दे सकता जब कि यहां पर बर्मा के प्रधान मंत्री तथा अन्य विशिष्ट लोग उपस्थित हैं।" अतः यह कहना ठीक नहीं है कि मैंने उस अभिनन्दन पत्र को लेने से इनकार कर दिया था। वास्तव में लगभग एक वर्ष पूर्व एक अन्य अवसर पर कोहिमा में मैं नागा नेता से मिला था, उनसे इस मामले पर विचार विमर्श किया था और उन्होंने मुझे एक लम्बा चौड़ा लेख्य दिया था। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि उस अभिनन्दन पत्र को लेने से मैंने इनकार कर दिया था, अथवा उपायुक्त ने उस काम में बाधा डाली थी। उसने तो केवल यही कहा था कि वह पत्र पढ़ा न जाये। मुझे तो उस समय कुछ पता ही नहीं था। मुझे इसके बारे में बाद में पता लगा। जब मैं और श्री यू० नू० उस सभा के स्थान पर पहुंचे तो वहां पर उपस्थित कुछ सौ लोग उठ खड़े हुए और वहां से चले गये। उससे मेरा मन बड़ा उदास हुआ, इसलिये नहीं कि मेरा अपमान हुआ था, अपितु इसलिये कि मैं अपने साथ बर्मा के प्रधान मंत्री को ले गया था, जो कि हमारे माननीय अतिथि थे, और उन लोगों ने उनके प्रति जो अनुदारता दिखाई थी उससे मेरा मन बड़ा दुःखी हुआ।

श्री बसु ने सेना द्वारा किये गये अत्याचारों का उल्लेख किया है और श्री कामत ने साइप्रैस और केन्या निवासियों का निर्देश किया है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है वह कहां तक न्यायोचित है। श्री किशिंग ने ग्रामों के जलाये जाने और लोगों को गोली से उड़ा दिये जाने का उल्लेख किया है। निश्चय ही, सैनिक कार्यवाहियां की जाती हैं वे ऐसी नहीं हैं जैसी कि हम किसी कमरे में कोई कार्य कर रहे हैं और न ही हम उन्हें पूर्णरूपेण न्यायोचित ठहरा सकते हैं। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। कभी-कभी कई व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से कई गलतियां हो जाती हैं। मैं मानता हूं कि कई गलतियां हो गयी हैं और उनमें से एक भारी गलती जिस पर हम पछता रहे हैं और बड़े दुःखी हैं, वह है डा० हरालु की हत्या। उनके पुत्र हमारी सरकार के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं---वे सह राजनीतिक पदाधिकारी हैं और उनकी पुत्री मेरे साथ वैदेशिक कार्य मंत्रालय में काम कर रही है। जब यह दुःखद घटना हुई थी, उस समय मैं यहां पर न था। जब वापिस आने पर मुझे इस घटना का ज्ञान हुआ तो मानो मुझे बहुत भारी धक्का लगा। हम इस बारे में उचित कार्यवाही कर रहे हैं; जांच के न्यायालयों में जांच हो रही है। सैनिक कार्यवाहियां पूर्ण अवश्य होती है परन्तु उनमें देर अवश्य लग जाती है। निःसन्देह, अपराधी लोगों को दण्ड अवश्य दिया जायेगा।

मैं यह नहीं कह रहा कि वहां सैनिक अथवा असैनिक प्राधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप में अथवा सामूहिक रूप में कोई भी गलती नहीं की गयी है। परन्तु मैं लोगों के मन से इस मिथ्या भ्रांति को अवश्य निकाल देना चाहता हूं कि वहां पर हमारी सेना अथवा कोई अन्य व्यक्ति लोगों की जानों से खेल रहा है और उनके ग्रामों को जला रहा है। हमें तो यह जानकारी प्राप्त हुई है कि वहां पर अधिक तर गांव विद्रोही नागाओं ने स्वयं जलाये हैं। सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि वे स्वयं गांव जला रहे हैं। श्री जयपाल सिंह ने यह कहा है कि वहां पर अधिक सेना भेजी गयी है यह सच है कि वहां पर अधिक सेना भेजी जा रही है, परन्तु प्रश्न यह है कि वह सेना किस लिये भेजी जा रही है ? मुख्य रूप से वहां की जनता की रक्षा के लिये है। विद्रोही नागा दस या बीस के दलों में जाते हैं और किसी भी गांव पर आक्रमण कर देते हैं। परन्तु प्रत्येक गांव में सेना भेजना कठिन है। इसलिये नागा पहाड़ियों तथा उसके आस पास के क्षेत्रों में सेना भेजने का हमारा मुख्य उन क्षेत्रों की सुरक्षा का प्रयत्न करना है। मैं मानता हूं कि कई छोटी गलतियां हुई हैं और कई भयंकर गलतियां भी हुई हैं। परन्तु फिर भी हमारी सेनाओं का सामान्य व्यवहार निश्चय ही अपेक्षाकृत अच्छा रहा है। मेरा विश्वास है कि श्री किशिंग श्री फीजो के प्रचार विभाग से प्राप्त होने वाली सूचनाओं से ही प्रभावित हुए हैं क्योंकि वे सूचनायें मेरे पास भी आती हैं और वे अधिकतर मन घड़न्त कहानियां हैं जिनका सत्यता से कोई सम्बन्ध नहीं है। वे समाचार केवल उन्हीं के पास ही नहीं भेजे जाते हैं, कई बार वे अमरीका तथा कई अन्य विदेशों को भी भेज जाते हैं।

जहां तक गांवों के जलाने का सम्बन्ध है, वे तीन प्रकार से जलाये गये हैं। प्रथम यह कि विद्रोही नागा लोग स्वयं ग्रामों को आग लगा देते हैं। परन्तु इस प्रकार के विद्रोही लोग अधिक देर तक अपनी कार्यवाही नहीं चला सकते जब तक कि उन्हें गांवों से धन तथा अन्न की सहायता न मिले। अतः वे गांव गांव से धन और अन्न इकट्ठा करते फिरते हैं।

त्वेन सांग विभाग में वहां के नागा तथा अन्य लोगों ने अपने ग्रामों को विद्रोहियों से बचाने के लिये कम से कम एक सौ प्रतिरक्षा संस्थायें बनाई हुई हैं और जब भी विद्रोही आते हैं वे लोग उनका सामना करते हैं। हमने उन स्थानीय लोगों को भी कुछ हथियार दिये हैं। इसलिये नागा पहाड़ियों में विद्रोही नागाओं और अन्य नागाओं में एक प्रकार का गृह-युद्ध सा होता रहता है ? और इसी झगड़े में कभी कभी गांव के गांव जला दिये जाते हैं। संभव है कि श्री रिशांग किशिंग द्वारा दिये गये आंकड़े ठीक हों, परन्तु मैं कहना यह चाहता हूं कि वे गांव अधिकतर विद्रोही नागाओं द्वारा स्वयं जलाये गये हैं। गांव जलने का दूसरा रूप यह है कि जब कभी हमारी सेनाओं और विद्रोही नागाओं में दोनों ओर से गोलियां बरसाई जाती हैं तो घास फूस की उन झोपड़ियों में स्वयं ही आग लग जाती है। मैं समझता हूं कि कुछ मास पूर्व कई बार ऐसा हुआ है कि इस सन्देह में कि किन्हीं विशेष ग्रामों पर विद्रोहियों का अधिकार है, हमारी सेना ने या तो सीधे ही उन गांवों को जला दिया था या गोलियों के द्वारा जला दिया था। परन्तु अब हमने अनुदेश भेज कर इस प्रकार के कार्य को बिल्कुल समाप्त करा दिया है। परन्तु जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने मुझे स्मरण कराया है, नागा लोग बन्दूकों के अतिरिक्त जलते हुए मुखों वाले तीरों का भी प्रयोग करते हैं। और इसलिये घास फस के झोपड़ों को शीघ्रता से आग लग जाती है।

मैं यह नहीं कहता कि वहां पर सैनिक अथवा असैनिक अधिकारियों द्वारा कोई भी गलती नहीं हुई है; गलतियां हुई हैं और कई ऐसी गलतियां हुई हैं जिन पर हमें बहुत दुःख है। परन्तु इतनी अधिक उत्तेजनापूर्ण परिस्थितियां होने पर भी हमने उस समस्या के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया है तथा हमारे सैनिक प्राधिकारियों ने हमारे निदेशों का जैसा अनुसरण किया है— ये दोनों बातें सराहनीय हैं। वहां के विद्रोहियों ने जानबूझ कर हमारी सेना को उत्तेजित किया है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सड़क पर जाते हुए अथवा किसी और स्थान से गुजरते हुए यदि किसी व्यक्ति पर अचानक ही गोलियां बरसने लगें या बाणों की वर्षा होने लगे तो उस व्यक्ति का उत्तेजित या क्रुद्ध हो जाना स्वाभाविक ही है। तो भी हमने अपने सैनिकों को यही निदेश भेजा है कि वे उत्तेजित तथा क्रोधित न हों, क्योंकि हम उन्हें मारना नहीं चाहते अपितु उनके मन को जीतना चाहते हैं।

इस समय भी हम नागाओं के सहयोग से ही सारा काम चला रहे हैं। नागा प्राधिकारियों के अतिरिक्त बहुत से नागा लोग हमारी सेना में आसाम राइफल्स और नागा रैंजीमेन्ट में भी काम कर रहे हैं। उन्हें हमारे ये अनुदेश ह कि वे हर प्रकार से नागाओं से सहयोग प्राप्त करें और विद्रोहियों को अच्छी प्रकार से बता दें कि हम उनका पूरा पूरा मुकाबला कर सकत हैं, हम भी गोली का जवाब गोली से दे सकते हैं।

मैं समझ नहीं सका कि श्री वसु और श्री कामत के इस सुझाव से क्या तात्पर्य है कि हमें इस समस्या को एक मानवीय समस्या समझना चाहिये और वहां से सारी सेना वापिस मंगा लेनी चाहिये मैं तो इस प्रकार के सुझाव से हैरान हूं—इसका अर्थ तो यह हुआ कि हम उन लाखों लोगों को जो कि सुरक्षा आदि के लिये हम पर निर्भर करते हैं, अरक्षित रूप में नष्ट भ्रष्ट होने के लिये छोड़ दिया जाये। यह तो एक बड़ी अद्भुत सी बात होगी जिसके परिणाम बड़े ही भयंकर होंगे। अतः इस प्रकार का सुझाव स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अतः इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है वह लगभग उसी प्रकार का है जैसा कि बहुत से सदस्यों ने सुझाव दिया है। यद्यपि कुछ गलतियां हुई हैं तो भी हम उसी दृष्टिकोण का अनुकरण करना चाहते हैं।

माननीय सदस्य श्री रिशांग किशिंग ने उस करार का उल्लेख किया है क्योंकि ो कि नागा राष्ट्रीय परिषद तथा सर अकबर हैदरी के बीच में हुआ था। मैं उनके इस कथन से सहमत नहीं हूं कि उस करार को अस्वीकृत कर दिया गया है। उस करार पर संविधान सभा में, विशेष कर संविधान सभा की एक विशेष समिति में विचार किया गया था और उस करार को ध्यान में रखकर ही संविधान की छठी अनुसूची तयार की गयी थी। मैं तो उस समिति में न था, अतः मुझे तो कुछ निश्चयपूर्वक पता नहीं कि वहां क्या हुआ था। परन्तु वास्तव में उसका उद्देश्य यह था कि उन क्षेत्रों को स्वायतता दी जाये और उन्हें अपने ढंग से जीवन व्यतीत करने की अनुमति दी जाये।

अब यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति यह कहे कि षष्ठ अनुसूची अन्ततः जिस रूप में पारित हुई थी, अत्यधिक-पर्याप्त संतोषप्रद नहीं थी। मैं इस तक को समझ सकता हूं। तब हमें षष्ठ अनुसूची पर विचार करना चाहिए; हम इसे संशोधित करें या इसके सम्बन्ध में जो कुछ भी करना चाहें, करें। संसद जो कुछ भी चाहे कर सकती है।

इस सारी अवधि में यह प्रश्न निरन्तर उठाया गया है। पिछले आठ या नौ वर्षों में इसे प्रायः उठाया गया है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो एकदम अब हो गई हो। जैसा कि मैंने कहा था मैं तीन बार श्री फीजो से मिला था और कम से कम एक बार, या हो सकता है दो बार, मैं अन्य नागा नेताओं से, अर्थात् श्री फिजो के साथियों से मिल चुका हूं। कम से कम चार बार, या सम्भवतः पांच बार मैंने उनसे इस मामले पर बातचीत की थी और उन्हें यह बताया था कि इन क्षेत्रों से सम्बन्धित उपबन्ध में संशोधन करने के लिये हम किसी रचनात्मक प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सदैव तैयार हैं, परन्तु स्वतंत्रता के संबंध में मुझ से बात करने कोई भी लाभ नहीं है। निश्चित रूप से मैंने उस बात पर जोर दिया था। स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में मुझसे बात करने का कोई लाभ नहीं है। चीन और बर्मा और भारत के बीच उस छोटे से कोने को—इसका एक भाग बर्मा में है—एक स्वतन्त्र राज्य कहना मैं बेतुकी बात समझता हूं।

यह सच है कि बाद में जब वे मुझसे मिलना चाहते थे तो कुछ शर्तें रखी गई थीं। इनमें से एक यह थी कि मैं स्वतन्त्रता पर विचार विमर्श करने के लिये तैयार नहीं हूं। यह पहली शर्त थी। दूसरी यह थी : आपको हिंसा का परित्याग करना होगा। यह इस मुख्य हिंसा तथा अन्य बातों, जब हिंसा की छोटी-छोटी कार्यवाहियां हो रही थीं, से पहले की बात थी। सामान्यतया मैं किसी से भी मिलन के लिय तैयार हूं : इस बात से कुछ अन्तर नहीं पड़ता कि क्या हम सहमत होते ह या असहमत होते हैं। परन्तु मुझे बताया गया कि मैंने उनसे जब भी भेंट की उसके बाद हर बार उन लोगों ने वापिस जाकर उन क्षत्रों में यह कहा कि क्योंकि उन्होंने प्रधान मंत्री से भेंट की है, इसलिए वे स्वतन्त्रता के मार्ग पर अग्रसर हैं। वे स्थानीय सरकार और स्थानीय पदाधिकारियों की उपेक्षा करते हैं और मझसे उन्होंने जो भेंट की थी उसका हवाला देकर सामान्यतया वहां अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयत्न करते हैं। स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में उनके निर्णय ने निश्चित रूप से विघ्न डाला था। यदि वे मुझसे भेंट का इस प्रकार लाभ उठाते हैं तो क्या मुझे उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिये ? फिर भी मैंने उनसे कहा था : आप से भेंट करने में मुझे प्रसन्नता होगी लकिन शर्त यह ह कि आप इस बात की स्पष्ट करें कि आप स्वतन्त्रता की मांग नहीं करते हैं। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार से चार या पांच बार उनसे भेंट करने के बाद यह स्थिति थी। अन्यथा उनसे भट करने में कठिनाई नहीं होगी।

वास्तव में, मुझसे अतिरिक्त राज्यपाल ने नागा नेताओं से भेंट प्रायः भेट की थी, और आप जानते हैं कि आसाम का राज्यपाल हमारा विशेष प्रतिनिधि है, उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार का प्रतिनिधि है और यद्यपि उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण तथा नागा पहाड़ियों की समस्यायें विभिन्न हैं तथापि उनमें कुछ एकरूपता है और इसलिए राज्यपाल इन मामलों में अत्यधिक दिलचस्पी लेते रहे हैं। उन्होंने फिजो से भेंट की थी। पिछले वर्ष मुख्य मंत्री ने भी, मेरे विचार में उनसे एक से अधिक बार भेंट की थी। इसलिए उनसे भेंट करने या उन्हें समझने का प्रयत्न करने या हिंसा से उन्हें रोकने और ऐसी सभी बातों के लिए हमारी ओर से प्रत्येक प्रयत्न किया गया है। मैं यह नहीं कहता कि आसाम सरकार की नीति या हमारी सरकार की नीति या हमने जो भी कार्यवाही की वह पूर्णतः ठीक या सुखद ही थी। निःसन्देह हमने गलतियां की हैं। ये छोटी छोटी गलतियां हो ही जाती हैं। परन्तु हमारे सामने मुख्यतः उद्देश्य उनके मन तथा हृदय को जीतना था उन्हें भयभीत या आतंकित करना नहीं था। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस नीति के सम्बन्ध में कुछ समय हुआ कहा था—जिसे आसामीकरण कहते हैं—यह सच है कि इस नीति का विचारहीनता से अनुसरण किया गया है। परन्तु इस सारे मामले में ये अपेक्षया गौण बाते हैं और सम्पूर्ण उद्देश्य उनसे सीधे ही व्यवहार करना था, वहां पर ऐसा वातावरण स्थापित करना था जिससे उनकी प्रगति हो और जिसमें वे बिना किसी हस्तक्षेप के स्वयं अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

एक बात जिसके सम्बन्ध में मुझे अत्याधिक रुचि थी वह थी मुख्यतः उनके अपने लोगों द्वारा बुनियादी स्कूलों की स्थापना। वास्तव में कई नागा युवक कुछ वर्ष साबरमती में बिताने के लिए गये थ और वे बुनियादी स्कूल के अध्यापकों के रूप में वापिस गये हैं। हम चाहते थे कि वे वहां स्कूल स्थापित करें क्योंकि मैं सोचता था कि इससे उनकी सहायता होगी।

दूसरी बात सामुदायिक परियोजनाओं की थी। मैं सोचता था कि ये दोनों बातें उस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त हैं और बाहिर से थोड़ी सी सहायता लेकर वे स्वयं उन पर कार्य कर सकते हैं। निःसन्देह फिर संचार, स्कूल आदि जैसी मुख्य योजनाएं भी हैं। इस प्रकार हमारा यह दृष्टिकोण रहा है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मैंने सैनिक पहलू की चर्चा नहीं की है। इसमें चर्चा किये जाने की बहुत बात भी नहीं है। परन्तु मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जो बातें मैंने अभी कही हैं, सेना को हमारी वही हिदायतें रही हैं कि वे अवश्य ही उसे एक मानवीय समस्या समझें; और सेना किसी राजनीतिक समस्या के सम्बन्ध में कार्य कर भी नहीं सकती है। वैसा हमें करना है और हम उसका समाधान करने के लिये तैयार हैं और हम इसे एक राजनीतिक समस्या तथा एक मानव समस्या समझते हैं, सैनिक समस्या कहीं कम समझते हैं।

फिर कुछ माननीय सदस्यों ने सामान्य राजक्षमा की चर्चा की थी। जी, हां निश्चित रूप से वहां राजक्षमा है। राजक्षमा की उद्घोषणा की जा चुकी है। कुछ माननीय सदस्यों ने सामान्य राजक्षमा की जो मांग की है, उसे मैं नहीं समझ सका हूं। मुझे मालूम नहीं कि इससे उनका क्या अभिप्राय है कि यह एक ही समय में होनी चाहिये जैसे कि जब सामान्य राजक्षमा होती है तो स्वतः ही तथा तुरंत ही प्रत्येक व्यक्ति आत्म समर्पण कर देता है।

†**श्री क० कु० बसु :** हमने यह कह कर प्रस्ताव किया था....

†**श्री कामत :** हम सरकार तथा विद्रोहियों दोनों से एक साथ अपील करते है।

†**श्री क० कु० बसु :** हमें उनसे अपील करनी चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि जब राजक्षमा की उद्घोषणा की गई थी तब कुछ अपवाद भी थे, मेरे विचार में उन व्यक्तियों के लिए अपवाद थे जिन्होंने हत्या की हो या कुछ और ऐसी बात की हो। मैं वाक्यांश भूल गया हूं; कुछ अपवाद थे....

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० व० पन्त) :** अतिनृशंस अपराध।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** अतिनृशंस अपराध या कुछ ऐसा ही शब्द। जो कोई भी आत्म समर्पण करे उसके लिये अब भी राजक्षमा के सम्बन्ध में वह प्रस्थापना है। यद्यपि समय समय पर अवधि समाप्त हो जाती है तथापि हम उसे बढ़ा देते हैं। वास्तव में जो व्यक्ति भी हथियार डाल देता है, उसके लिये वहां राजक्षमा विद्यमान है। इसलिए इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। हम वहां किसी एक व्यक्ति को या किसी दल को दण्ड नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वे वहां शान्तिपूर्वक बस जायें क्योंकि इस समस्या के सम्बन्ध में कार्यवाही करने से हमें कोई प्रसन्नता नहीं होती है और न ही यह देख कर प्रसन्नता होती है कि वहां पर रहने वाले लोगों की अत्यधिक संख्या असामान्य जीवन व्यतीत कर रही है, क्योंकि स्वाभावतः एक ओर तो उन्हें नागा विद्रोहियों के आने और उनके द्वारा रकम दिये जाने के लिये विवश करने या उनसे अन्यथा वस्तुओं के बलात् आदान का भय रहता है और दूसरी ओर उन्हें आस पास ही होने वाली लड़ाई या कुछ दुर्घटनाओं के होने या उनके गांवों के जलने का भय रहता है—सभी प्रकार की बातें होती हैं और इस प्रकार की बात को कोई भी पसन्द नहीं करता है। जितनी जल्दी यह समाप्त हो उतना ही अच्छा है।

क्या कोई माननीय सदस्य सरकार से यह आशा करता है कि वह नागा राष्ट्रीय परिषद् के नेताओं को आमंत्रित करे और उनसे एक विभिन्न राज्य के नेताओं के रूप में व्यवहार करे और उनसे संधि करे? मुझे समझ में नहीं आता कि इन बातों से वास्तव में अभिप्राय क्या है। हम किसी से भी बात करने के लिये तैयार हैं परन्तु स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में नहीं; यही एक मात्र शर्त है। यदि वे आना चाहें तो आ सकते हैं। परन्तु यदि वे कोई कुछ गलत बात करते हैं तो उन्हें उससे रोकने की अपेक्षा क्या हमें उन्हें प्रोत्साहीत करना चाहिए? बीते दिनों में हमने यही देखा है और यही हमारी कठिनाई है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

यह आत्म सम्मान का प्रश्न नहीं है। अपने गरीब देशवासियों से व्यवहार करने के माग में भारत सरकार के सम्मान के प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी छोटी छोटी बातों से भारत सरकार के सम्मान को बट्टा नहीं लग सकता, भारत सरकार इन बातों से कहीं ऊपर है।

प्रश्न यह है कि कोई ऐसी कार्यवाही न की जाय कि जिसे गलत समझा जाये, गलत बयान किया जाय और जिसकी नागाओं में हमारे अपने साथी ही, वे सभी जो हमसे सहयोग कर रहे हैं, आलोचना करें। निश्चित रूप से सभा हम से यह आशा नहीं करेगी कि हम उन सभी नागाओं से विश्वासघात करें जिन्होंने कठिनाइयों के होते हुए भी हमारे पदाधिकारियों और हमारे असैनिक व्यक्तियों से सहयोग किया है, जिन्होंने हमसे सहायता तथा सुरक्षा की आशा की है। हम चाहते हैं कि भविष्य में वहां नागाओं से हमारा सहयोग का यह तत्व अधिकाधिक बढ़े।

अब राजनीतिक पहलू के सम्बन्ध में, एक माननीय सदस्य ने कहा था कि नागा पहाड़ी जिले का तुएनसांग डिवीजन एक पृथक राजनीतिक खण्ड बना दिया जाय। मेरे विचार में उन्होंने तिरप सीमा भू-भाग की भी चर्चा की थी। ये राजनीतिक समस्यायें हैं जिन पर हम सोच विचार कर सकते हैं। परन्तु इस विशिष्ट संदर्भ में हम उन पर विचार नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए संविधान में परिवर्तन, संशोधन आदि अपेक्षित होगा, यदि आवश्यक हुआ तो हम संविधान में परिवर्तन कर देंगे और मुझे इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं कि सभा सदन इस परिवर्तन के लिए सहमत होगी लेकिन शर्त यह है कि इस मामले में उचित परिस्थितियां विद्यमान हों, स्वाभावतः हमें आसाम सरकार से परामर्श करना होगा।

हम इसे टाल नहीं सकते हैं क्योंकि मुख्य बात वहां पर रहने वाली जनता की समृद्धि है। चाहे आप एक इकाई बनायें या दो इकाइयां बनायें, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। उन्हें यह अनुभव करना चाहिए कि वे अपना जीवन स्वयं बिता सकते हैं और उन्हें स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए और भारत के नागरिक होने पर उन्हें गर्व होना चाहिए।

अब, श्री जयपाल सिंह ने द्वैधराय, वहां असैनिकों तथा सेना के बीच प्राधिकार के विभाजन की चर्चा की है। मैं कह नहीं सकता कि वहां कार्य दक्षता के मार्ग में वर्तमान प्रबन्ध कहां तक बाधक है। हमारी यह इच्छा थी कि सेना से अधिक काम न लिया जाय। इसलिए हमें असैनिक सत्ता की सहायता के लिए अपनी सेना भेजनी पड़ी।

सेना-विधि की घोषणा करना या समस्त क्षेत्र को सेना को सौंपना हमारे लिये काफी आसान था परन्तु, माननीय सदस्यों द्वारा जिस बात पर इतना अधिक जोर दिया गया है, हम सदैव यह सोचते थे कि इसे केवल एक सैनिक समस्या ही न समझें। इसलिए हमने उन्हें असैनिक सत्ता की सहायता के लिए भेजा था। यह वर्तमान स्थिति है। परन्तु, निःसन्देह, वास्तव में वहां असैनिक सत्ता बहुत ही सीमित क्षेत्र में कृत्यकारी है; हो सकता है कुछ केन्द्रों में ही हो, परन्तु उसका क्षेत्र अधिक विस्तृत नहीं है। स्वाभावतः सशस्त्र सेना जिस रूप में कार्यान्वित है, यदि कृत्यकारी हो, और विद्रोही तत्व कृत्यकारी हों तो असैनिक सत्ता की गतिविधियां वास्तव में सीमित होती हैं, परन्तु माननीय सदस्य श्री जयपाल सिंह ने जो कुछ कहा है उस पर विचार किया जाना चाहिए और निश्चित रूप से हम उस पर विचार करेंगे। मुझे अपने साथी गृह-कार्य मंत्री से मालूम हुआ है कि वहां असैनिक सत्ता का प्रमुख कृत्य सहायता तथा पुनर्वास कार्य है। वास्तव में सेना भी निस-न्देह यह कर रही है और यहां मैं यह कहूंगा कि गांवों के निर्माण तथा सहायता देने के सम्बन्ध में सेना तथा असैनिक प्राधिकारियों का कार्य उचित रूप से सराहनीय है। वे जो सहायता दे रहे हैं वह अत्यधिक है और इतनी सहायता कभी नहीं की गई है।

†**श्री जयपाल सिंह** : चाहे पुनर्वास कार्य हो या गांवों या मकानों का निर्माण हो या कुछ भी हो सशस्त्र सेनायें, असैनिक प्रशासन से कई गुना अधिक अच्छा कार्य कर सकती हैं। वे स्थिति का सामना अधिक अच्छी तरह और अधिक योग्यता से कर सकते हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: हो सकता है ऐसा हो। क्या माननीय सदस्य का निर्देश इस सहायता तथा पुनर्वास की ओर है या सभी बातों की ओर ?

†**श्री जयपाल सिंह** : मैं समस्त भारत नहीं बल्कि जिस रूप में हम नागा स्थिति पर विचार कर रहे हैं इन सभी बातों की ओर निर्देश कर रहा हूं। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसका सम्बन्ध नागा स्थिति से है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत होने के लिये तैयार हूं कि असैनिक प्राधिकार की अपेक्षा सेना द्वारा इस प्रकार का कोई भी कार्य अधिक दक्षता से पूरा किया जा सकता है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है।

†**श्री शं० शां० मोरे** : परन्तु क्या वे इसे मानवीय रीति से करेंगे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: वे अवश्य करेंगे और मानवोचित रीति से भी करेंगे, मुझे इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है और मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ था कि विधि-क्षेत्र में भी सेना के सेना-न्यायालय हमारे कुछ असैनिक न्यायालयों से कहीं अधिक दक्ष हैं।

†**श्री शं० शां० मोरे** : क्या हमने सभी स्थानों पर दंडप्रक्रिया संहिता निलम्बित कर दी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे साथी डा० काटजू जो प्रतिरक्षा मंत्री होने के अतिरिक्त एक सुविख्यात वकील भी हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि उन्हें सेना में विधि के उच्च गुण देख कर आश्चर्य हुआ है।

†**श्री शं० शां० मोरे** : अब वह वकील नहीं हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे इस विशिष्ट कार्य के बारे में कोई सन्देह नहीं है परन्तु—इसमें परन्तु शब्द भी है—अल्पविधि के लिए वह अच्छा है और दीर्घावधि के लिए वह अच्छा नहीं है। यदि लम्बी अवधि के लिये ये क्रियायें सेना को सौंपी जायें तो इसके कुछ परिणाम ऐसे होंगे जो कि अच्छे न होंगे परन्तु वह सेना का दोष नहीं है।

एक बात और, वहां एक संसदीय आयोग भेजने का प्रस्ताव किया गया था।

†**श्री जयपाल सिंह** : जिसके नेता श्री मोरे हों।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं यह नहीं समझ सका हूं कि संसदीय आयोग क्या करेगा और वह कहां जायगा। जहां कहीं आयोग जायगा वहां हमें उसकी सुरक्षा के लिए एक दस्ता भी भेजना पड़ेगा, परन्तु मुझे आशा है कि बाद में एक ऐसा समय आयेगा जब संसद के कुछ माननीय सदस्य उन क्षेत्रों की यात्रा कर सकेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा, शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में।